न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 79/2017

1 मूला पुत्र गुमाना जाति मेघवंशी उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दलाल पुत्र मानाराम।
2 छगनलाल पुत्र मानाराम।
3 जगदीश पुत्र मानाराम।
4 प्रभुराम पुत्र नोपाराम।
5 कृपाराम पुत्र नोपाराम।
6 मदन पुत्र नोपाराम।
7 गंगाधर (फौत)।
7/1 राजेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/2 महेश पुत्र गंगाधर।
7/3 सुरेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/4 नरेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/5 श्यानादेवी पत्नी गंगाधर।
8 भादर पुत्र नोपाराम।
9 पन्नी पत्नी नोपाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2014 मुकदमा नम्बर 109/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण बउनवानी नन्दलाल बनाम छगनलाल आदि पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

अपील संख्या 80/2017

1 मूला पुत्र गुमाना जाति मेघवंशी उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दलाल पुत्र मानाराम।
2 छगनलाल पुत्र मानाराम।
3 जगदीश पुत्र मानाराम।
4 प्रभुराम पुत्र नोपाराम।
5 कृपाराम पुत्र नोपाराम।
6 मदन पुत्र नोपाराम।
7 गंगाधर (फौत)।
7/1 राजेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/2 महेश पुत्र गंगाधर।
7/3 सुरेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/4 नरेन्द्र पुत्र गंगाधर।
7/5 श्यानादेवी पत्नी गंगाधर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 भादर पुत्र नोपाराम।
9 पन्नी पत्नी नोपाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.02.2015 मुकदमा नम्बर 109/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण बउनवानी नन्दलाल बनाम छगनलाल आदि पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश कुमार मण्डीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 109/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2014 एवं 18.02.2015के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 27 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.86 हैक्टेयर वाके ग्राम लालासी व खसरा नम्बर 26/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16/2 रकबा 2.57 हैक्टेयर ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसके सम्बंध में वादी द्वारा न्यायालय को मुगालता में रखकर अपीलांट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.09.2014 को करवाई जाकर बिना किसी विधिवत तामील के मौके पर बाहमी बंटवारा बताकर एक पक्षीय निर्णय कर दिनांक 22.12.2014 को प्राथमिक रूप से वाद में डिक्री जारी कर दिनांक 18.02.2015 को निर्णय आर्डर शीट में लिखा जाकर पटवारी हल्का की मनमर्जी पूर्ण रिपोर्ट के आधार मानकर रिपोर्ट पर केवल मात्र हस्ताक्षर करवाकर बंटवारा प्रस्ताव एक पक्षीय रूप से करवाकर दिनांक 21.01.2015 को भिजवा दिया गया जिसके आधार पर अन्तिम डिक्री 18.02.2015 को जारी कर दी गई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व अलग–अलग अपीले प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब देही, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना नही की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करने से पूर्व अपीलांट को विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में नोटिस जारी नही किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है जबकि चस्पांदगी से तामील के आदेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई अन्तिम डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब देही, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना नही की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में नोटिस जारी नही किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है जबकि चस्पांदगी से तामील के आदेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व एवं विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर